"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 24] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 16 जून 2017—ज्येष्ठ 26, शक 1939

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

रायपुर, दिनांक 2 जून 2017

क्र. 76/छ.ग.रा.वि.नि.आ./2016.– विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61 एवं सहपठित धारा 181 एवं अन्य प्रदत्त शक्तियों के तहत् छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा निम्न विनियम संशोधन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धांतो के अनुरूप टैरिफ के निर्धारण और टैरिफ एवं प्रभारों से अनुमानित राजस्व के अवधारण हेतु अपनायी जाने वाली कार्यप्रणाली एवं प्रकिया तथा निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2015 बनाता है (यहां के बाद मूल विनियम) नाम से –

1. **संक्षिप्त शीर्षक, परिभाषा एवं प्रारंभ**

1.1 ये विनियम छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धांतो के अनुरूप टैरिफ के निर्धारण और टैरिफ एवं प्रभारों से अनुमानित राजस्व के अवधारण हेतु अपनायी जाने वाली कार्यप्रणाली एवं प्रकिया तथा निबंधन एवं शर्तें) प्रथम संशोधन विनियम 2016 कहलाएंगे।

1.2 ये विनियम 1 अप्रैल 2016 से प्रभावशील होंगे।

1.3 इस विनियम में प्रयुक्त शब्द एवं अभिव्यक्तियां जो यहां परिभाषित नहीं है वही अर्थ रखेगी जैसा कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धांतो के अनुरूप टैरिफ के निर्धारण और टैरिफ एवं प्रभारों से अनुमानित राजस्व के अवधारण हेतु अपनायी जाने वाली कार्यप्रणाली एवं प्रकिया तथा निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2015 (यहां के उपरांत प्रथम संशोधन छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धांतो के अनुरूप टैरिफ के निर्धारण और टैरिफ एवं प्रभारों से अनुमानित राजस्व के अवधारण हेतु अपनायी जाने वाली कार्यप्रणाली एवं प्रकिया तथा निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2016 में होगा।

2. मूल अधिनियम की कंडिका 13.1 में निम्न प्रावधान सन्निवेश किया जायेगा अर्थात्:–

परंतु यह कि लाभ एवं हानि की गणना संचालन एवं संधारण खर्च में करते समय कर्मचारी लागत को विभक्त नहीं किया जाएगा।

स्पष्टीकरण :–

क्रमांक	विवरण	राशि (करोड़ो में)
1	कर्मचारी लागत	65.00
2	मरम्मत एवं संधारण	25.00
3	प्रशासनिक व्यय	10.00
4	कुल संचालन एवं संधारण व्यय	100.00

वास्तविकीकरण के समय परिदृश्य – I

क्रमांक	विवरण	वार्षिक राजस्व आवश्यकता	वास्तविक व्यय	लाभ/(हानि)	वार्षिक राजस्व आवश्यकता वास्तविकीकरण के उपरांत
1	कर्मचारी लागत	65.00	66.00		66.00
2	मरम्मत एवं संधारण	25.00	22.00	3.00	25.00
3	प्रशासनिक व्यय	10.00	12.00	(2.00)	10.00
4	कुल संचालन एवं संधारण व्यय	100.00	100.00	1.00	101.00
5	जोड़े लाभ/ (हानि) का अंश (50:50)				(0.50)
6	कुल संचालन एवं संधारण व्यय अनुमति योग्य				100.50

वास्तविकीकरण के समय परिदृश्य – II

कमांक	विवरण	वार्षिक राजस्व आवश्यकता	वास्तविक व्यय	लाभ/(हानि)	वार्षिक राजस्व आवश्यकता वास्तविकीकरण के उपरांत
1	कर्मचारी लागत	65.00	63.00		63.00
2	मरम्मत एवं संधारण	25.00	24.00	1.00	25.00
3	प्रशासनिक व्यय	10.00	13.00	(3.00)	10.00
4	कुल संचालन एवं संधारण व्यय	100.00	100.00	(2.00)	98.00
5	जोड़े लाभ/ (हानि) का अंश (50:50)				1.00
6	कुल संचालन एवं संधारण व्यय अनुमति योग्य				99.00

और यह कि नये उत्पादन संयंत्र जिसके संचालन एवं संधारण मूल्य धारा 38.5 1(ब) में निर्दिष्ट मापदंडो के अनुसार निर्धारण की जाती है, उनके सत्यापन कर्मचारी लागत के अनुसार किया जाये तथापि वेतन पुनरीक्षण का असर एवं कर्मचारियों को देय बकाया राशि (यदि हो) का भार उस नियंत्रण अवधि मे मान्य किया जावे।

3. मूल विनियम की कंडिका 25.01 (ड.) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण सन्निवेश किया जावेः–

स्पष्टीकरण :–

क्रमांक	विवरण	वार्षिक राजस्व आवश्यकता (राशि करोड़ में)	
		परिदृश्य–1	परिदृश्य–2
1.	कुल कार्यशील पूंजी की आवश्यकता	400.00	400.00
2.	घटाए : उपभोक्ता का सुरक्षा निधि	350.00	450.00
3.	वास्तविक कार्यशील पूंजी	50.00	(50.00)
4.	ब्याज दर	13.20%	13.20%
5.	कार्यशील पूंजी पर ब्याज	6.60	(6.60)

4. मूल विनियम की कंडिका 67.3 में निम्नलिखित उपबन्ध का सन्निवेष किया जावेः–

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित द्वारा अपने प्रत्येक तापीय विद्युत केन्द्र के लिए प्रत्येक माह हेतु पृथकतः परिगणित किया जाएगा और द्वैमासिक राशि का निर्धारण हेतु इसे जोड़ दिया जाएगा। किसी माह के लिए CHFC की गणना निम्नानुसार की जाएगीः–

CHFC, (रूपयों में) = माह के लिए अनुसूचित ऊर्जा (एक्स बस)X मासिक ऊर्जा प्रभार दर में परिवर्तन,

मासिक ऊर्जा प्रभार में अंतर = ECR (T) - ECR (M)

जहां,

ECR (T) = मासिक ऊर्जा प्रभार, टैरिफ ओदश में उस विशिष्ट संयंत्र के लिए विनिर्दिष्ट

ECR (M) = विशिष्ट संयंत्र हेतु विशिष्ट माह के लिए निम्नलिखित सूत्र के अनुसार परिगणित ECR

ECR (M) ¾ {(GHR – SFC x CVSF) x LPPF / CVPF } x 100 / (100 – AUX)

जहां,

AUX = मानदंडीय सहायक विद्युत खपत, प्रतिशत में

CVPF = जलाए गए प्राथमिक ईंधन का वास्तविक भारांकित औसत सकल कैलोरी मूल्य, किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम, प्रति लीटर या प्रति मानक घन मीटर

CVSF = द्वितियक ईंधन का कैलोरी मूल्य, किलो कैलोरी प्रति मिलीलीटर में, टैरिफ आदेश में यथा विचारित

GHR = सकल केन्द्र ऊष्मा दर, (ग्रास स्टेशन हिट रेट) किलो कैलोरी प्रति किलोवाट अव्हर में टैरिफ आदेश में यथा अनुमत

LPPF = प्राथमिक ईंधन का भारांकित औसत प्राप्ति मूल्य, प्रति किलोग्राम, रूपयों में

SFC = मानदण्डीय विशिष्ट ईंधन तेल खपत, मिलीलीटर प्रति किलोवाट अव्हर में

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित मानदण्डीय जी.एस.एच.आर., मानदण्डीय सहायक खपत, मानदण्डीय विशिष्ट द्वितीयक ईंधन तेल खपत, कोयले की वास्तविक भारांकित औसत जी.सी.व्ही. और वास्तविक प्राथमिक ईंधन का भारांकित औसत प्राप्ति मूल्य, के आधार पर ई.सी.आर. तैयार करेगा।

5. मूल विनियम की कंडिका 71.3 में निम्नलिखित उपबन्ध का सन्निवेश किया जावेः–

और यह कि यदि राज्य की उपयोगिता का कोई अनुबंध भारत सरकार और/अथवा छत्तीसगढ़ सरकार से है और इस अनुबंध में ऊर्जा हानि संबंधी प्रक्षेप वक्र इस विनियम में निर्दिष्ट ऊर्जा हानि प्रक्षेप वक्र के विपरित है तो अनुबंध में सहमत ऊर्जा हानि प्रक्षेप वक्र विनियम में दर्शाए गए ऊर्जा हानि प्रक्षेप वक्र की अपेक्षा अभिभावी होगा।

6. मूल विनियम की कंडिका 75.1 में निम्न कंडिका प्रतिस्थापित किया जायेगा अर्थात्

अ) राज्य भार प्रेषण केन्द्र के द्वारा इस विनियम द्वारा निर्धारित शुल्क एवं प्रभार लिया जाएगा।

ब) राज्य भार प्रेषण केन्द्र इस विनियम में निर्दिष्ट पंजीकरण शुल्क का निर्धारण एवं वसूली उत्पादन कंपनियों एवं अनुज्ञप्तिधारियों से करेगा। पंजीकरण शुल्क का निर्धारण एवं वसूली उनसे नहीं किये जावेंगे जिन पर विनियम की कंडिका 2.2 लागू नहीं होती है।

स) राज्य भार प्रेषण केन्द्र अन्य विनियमों में निर्दिष्ट उत्पादन कंपनियों, अनुज्ञप्तिधारियों एवं पावर एक्सचेंज से शुल्क एवं प्रभार निर्धारण तथा वसूली हेतु प्राधिकृत होगा।

7. मूल विनियम की कंडिका 75.7 को निम्नलिखित कंडिका से प्रतिस्थापित किया जावे अर्थात् :

पंजीकरण शुल्क

अ) सभी उत्पादन कंपनियों एवं अनुज्ञप्तिधारी (विनियम 2.2 में उल्लेखित को छोड़कर) जो अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रणाली या वितरण प्रणाली से जुड़ना चाहते है वे अपना स्वयं का पंजीकरण राज्य भार प्रेषण केन्द्र से कराने हेतु विनियम में निर्धारित प्रारूप V में आवेदन प्रस्तुत करेंगे। यह पंजीकरण दस वर्षो की अवधि के लिए मान्य होगा एवं उसके पश्चात्

उसका नवीनीकरण आयोग द्वारा निर्धारित शुल्क एवं प्रभार का भुगतान किया जावेगा परंतु यह कि पूर्व से ही राज्य भार प्रेषण केन्द्र में पंजीकृत सभी उत्पादन कंपनियों एवं अनुज्ञप्तिधारियों का पंजीकरण दिनांक से दस वर्षो के लिए वैध होगा।

टीपः मालिकाना हक में परिवर्तन/अंतरण को राज्य भार प्रेषण केन्द्र को सूचित किया जाना आवश्यक होगा।

ब) विद्युत उत्पादन संयंत्र (केप्टिव उत्पादन संयंत्रो को समाहित करते हुए) पंजीकरण हेतु आवेदन 50 मेगावाट या उससे अधिक की स्थापित क्षमता हेतु रू. 10 लाख या 50 मेगावाट से कम स्थापित क्षमता हेतु रू. 5 लाख शुल्क के साथ जमा करेंगे।

परंतु यह कि नवीकरणीय ऊर्जा आधारित ग्रिड से संयोजित विद्युत उत्पादन संयंत्रों को अपने उत्पादन इकाइयों को पंजीकरण राज्य भार प्रेषण केन्द्र में रु. 2 लाख भुगतान कर करना होगा (स्थापित क्षमता को विचार किए बिना)। नवीकरणीय ऊर्जा आधारित विद्युत उत्पादन कंपनियों की इस आशय का प्रमाण पत्र राज्य नोडल एजेंसी छत्तीसगढ़ राज्य नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) से सत्यापित कर प्रस्तुत करना होगा।

परंतु यह कि अकेले चल सकने योग्य उत्पादक जो राज्य भार प्रेषण केन्द्र की सेवाओं का उपयोग विद्युत के मापन अथवा लेखांकन, RE प्रमाण पत्र अथवा अन्य किसी प्रयोजन हेतु जो कि आयोग द्वारा समय–समय पर आदेशित हो उन्हें भी राज्य भार प्रेषण केन्द्र में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा। उक्त स्थिति में स्थापित क्षमता का विचार किये बिना रु. 1 लाख शुल्क लागू होगा।

(स) समस्त उत्पादन कंपनियों एवं अनुज्ञप्तिधारियों जो राज्य भार प्रेषण केन्द्र की सेवाये लेना चाहते है उनका रु. 10 लाख पंजीकरण शुल्क होगा।

(द) उत्पादन कंपनियों (केप्टिव उत्पादन संयंत्रो सहित) एवं अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पंजीकरण शुल्क का भुगतान नहीं करने की दशा में राज्य भार प्रेषण केन्द्र आयोग के संज्ञान में यह बात ला सकता है।

(इ) राज्य भार प्रेषण केन्द्र समस्त आवेदनों की जांच करने के पश्चात एवं उसमे प्रस्तुत जानकारियों के सही पाये जाने पर आवेदन का पंजीकरण करेगा और आवेदक को तत्संबंध में स्वीकृति बाबत् सूचित करेगा।

(ई) एक बार भुगतान किया हुआ पंजीकरण शुल्क वापस नहीं किया जावेगा। यदि उत्पादन केन्द्र अपनी क्षमता जो कि 50 मेगावाट से कम है को 50 मेगावाट से ज्यादा करता है तो अंतर की राशि रु. 5 लाख का भुगतान करना होगा।

(उ) राज्य भार प्रेषण केन्द्र सभी पंजीकृत उत्पादन कंपनियों एवं अनुज्ञप्तिधारियों की सूची अपने वेबसाईट पर संधारित करेगा। राज्य भार प्रेषण केन्द्र उत्पादन केन्द्र और राज्य आंतरिक पारेषण नेटवर्क से संयोजित अनुज्ञप्तिधारियों एवं वितरण नेटवर्क और उसके द्वारा निगरानीकृत/सेवाकृत के बारे में समेकित जानकारी आयोग को प्रतिवर्ष अप्रैल माह के अंत तक प्रस्तुत करेगा।

(ऊ) राज्य भार प्रेषण केन्द्र पंजीयन हेतु समस्त आवेदनों का निपटारा 30 दिवसों के भीतर कर देगा। विचारण में विलम्ब अथवा इन्कार करने की स्थिति में राज्य भार प्रेषण केन्द्र, आवेदक

को उसके बारे में वैध कारणों सहित, उपर्युक्त समय–सीमा पूरी होने के 05 कार्य दिवसों के भीतर सूचित करेगा।

टीपः समस्त उत्पादन कंपनियों एवं अनुज्ञप्तिधारियों को राज्य भार प्रेषण केन्द्र के पास पंजीयन कराना आवश्यक होगा। इनमें उत्पादन संयंत्र, केप्टिव उत्पादन संयंत्र, राज्य ग्रिड से सीधे संयोजित अनुज्ञप्तिधारी, एकल उत्पादन संयंत्र जो नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र हेतु राज्य भार प्रेषण केन्द्र की सेवाओं और अन्य राज्यांतरिक एकक (entity) प्रयोग करते है, सम्मिलित होंगे।